उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-26/2020/2180/77-6-2020-5(एम)/2017टीसी-15
लखनऊ: दिनांक: 14 अगस्त, 2020

अधिसूचना

भारत का संविधान के अनुच्छेद **162** के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय "कोविड-**19** महामारी के परिपेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-**2020**" प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-26/2020/2180(1)/77-6-2020-5(एम)/17टीसी-15,तद्दिनांक-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,उ0प्र0।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी,औद्योगिक विकास प्राधिकरण,उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक, पिकप।
8. अधिशाषी निदेशक,उद्योग बन्धु, 12-सी,मॉल एवेन्यू, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति उद्योग बन्धु की वेब-साइट पर अपलोड कराते हुए 150 प्रतियॉ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. आयुक्त एवं निदेशक,उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश।
11. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(रजनी कान्त पाण्डेय)
अनु सचिव।

कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020

प्रस्तावना

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आर्थिक कष्ट हुआ है। राजस्व की हानि के अलावा औद्योगिक एवं आर्थिक उत्पादन तथा आर्थिक गतिविधियों में मन्दी के कारण रोजगार के साधनों में क्षति हुई है। लगभग 35 लाख से भी अधिक की भारी संख्या में प्रवासी मजदूरों की अन्य राज्यों से वापसी राज्य के लिए चुनौती एवं अवसर, दोनों ही रूप में सामने आई है। ऐसे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के साधनों के अवसर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाने एवं "आत्मनिर्भर भारत" के ध्येय को प्राप्त करने के उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु प्रदेश सरकार औद्योगिक गतिविधियों में गतिशीलता की दृष्टि से राज्य में निवेश के प्रोत्साहन हेतु प्रयासरत है।

श्रमिक वर्ग को वर्तमान में विपरीत परिस्थितियों एवं जोखिम का सामना करना पड़ रहा है, इसे कम करने के लिये किये जा रहे अन्य प्रयासों के अलावा राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिए यह त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति लागू की जा रही है।

विजन

"राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में तीव्र गति से निवेश को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सके"

2.0 **नीति के उद्देश्य**

(1) औद्योगिक निवेश के क्रियान्वयन को गतिशील किया जाना।

(2) पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाना।

(3) कोविड-19 से उत्पन्न जनसांख्यिकीय जोखिम को कम करना।

3.0 **नीति के प्राविधान**

3.1 **अर्हता**

राज्य के मध्यांचल, पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा इकाईयाँ स्थापित करने वाले ऐसे सभी आवेदक (जैसा कि प्रस्तर-4.3 में परिभाषित है) जोकि इस नीति के प्रख्यापन की तिथि से मेगा एवं मेगा प्लस श्रेणी में 30 माह की अवधि एवं सुपर मेगा श्रेणी में 42 माह की अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करते हैं।

4. **परिभाषाएं:-**

4.1 **सन्दर्भ तिथिः** का तात्पर्य इस नीति के प्रख्यापन की तिथि से है।

4.2 **पूँजीगत निवेश**: मेगा, मेगा प्लस एवं सुपर मेगा औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में श्रेणी के अनुसार अनुमन्य निवेश की अवधि के भीतर भूमि, भवन, यंत्र एवं सयंत्र, यूटिलिटीज, टूल्स एवं उपकरण तथा ऐसी अन्य सम्पत्तियों, जो अन्तिम उत्पाद के उत्पादन में सहायक हो, में किया गया निवेश। पूँजीगत निवेश के उदेद्श्य हेतु निम्न को माना जाएगा, जिसकी लागत औद्योगिक उपक्रम द्वारा वहन की गई हो:-

अ.	**भूमि**	परियोजना हेतु भूमि के मूल्य हेतु भूमि के पंजीकृत दस्तावेज में उल्लिखित वास्तविक क्रय मूल्य एवं स्टॉम्प तथा पंजीकरण शुल्क मान्य होगा। यदि भूमि उ.प्र. औद्योगिक विकास निगम लि. अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गई हो, तो वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत में सम्मिलित किया जाएगा। किन्तु पूँजी निवेश के अन्तर्गत भूमि के अंश के मद में कुल पूँजी निवेश की राशि की 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक ही सम्मिलित की जाएगी।
ब.	**भवन**	भवन का तात्पर्य परियोजना हेतु निर्मित नये भवन से है जिसमें प्रशासनिक भवन सम्मिलित है। यंत्र एवं सयंत्रों की स्थापना, अनुंसधान एवं विकास गतिविधियों, आन्तरिक (इन-हाउस) परीक्षण सुविधाओं, भण्डारण सुविधाओं, एवं उत्पादन प्रक्रिया से सम्बन्धित नये भवनों के निर्माण में की गई लागत को वास्तविक व्यय के आधार पर भवन के मूल्य हेतु आगणित किया जाएगा।
स.	**अन्य निर्माण**	अन्य निर्माण का तात्पर्य कम्पाउण्ड दीवार तथा द्वार, सुरक्षा केबिन, आन्तरिक सड़कें, बोर वेल, पानी की टंकियॉ, जल व गैस की आन्तरिक पाइप लाइन्स, नेटवर्क एवं अन्य सम्बन्धित निर्माण से है।
द.	**यंत्र एवं संयत्र**	यंत्र एवं सयंत्र का तात्पर्य नये स्वदेशी/आयातित यंत्र एवं सयंत्र, यूटिलिटीज, डाइज, मोल्ड्स से है जिसमें यातायात की लागत, नीव, इरेक्शन, इन्स्टॉलेशन तथा इलेक्ट्रिफिकेशन सम्मिलित हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन की लागत में सब-स्टेशन व

		ट्रान्सफॉर्मर का मूल्य सम्मिलित होगा। ऐसे अन्य टूल तथा उपकरण, जोकि उत्पादन में सहायक हों, भी सम्मिलित किए जाएंगे। **<u>यंत्र एवं संयत्र में निम्नलिखित भी सम्मिलित होगें-</u>** 1. गैर-पारॅपरिक ऊर्जा के उत्पादन का प्लाण्ट। 2. औद्योगिक इकाई परिसर के भीतर परिवहन हेतु वाहन एवं माल-संचालन से सम्बन्धी उपकरण जोकि केवल ऐसे परिसर के भीतर माल के संचालन हेतु उपयोगी हों। 3. कैप्टिव पावर जनरेशन/को-जनरेशन प्लाण्ट। 4. जल के प्योरिफिकेशन का यंत्र। 5. प्रदूषण नियंत्रण के प्रयोजनार्थ यंत्र, जिसमें इफ्लुएन्ट्स/ उत्सर्जनों अथवा ठोस/गैसीय वेस्ट का संग्रह, ट्रीटमेण्ट, डिस्पोजल की सुविधा सम्मिलित है। 6. डीजल जनरेटिंग सेट्स एवं ब्वायलर।
य.	**<u>अवस्थापना सुविधाएं</u>**	ऐसी नई सड़कें, सीवर लाइन, जल निकासी, पावर लाइन, रेलवे साइडिंग, अवस्थापना सुविधाएं (जिसमे ऐसी अन्य सुविधाएं जो कि इकाई के संचालन हेतु आवश्यक हों) से है जोकि औद्योगिक उपक्रम के परिसर को मुख्य अवस्थापकीय ट्रंक लाइनों से जोड़ती हो। इसके अलावा औद्योगिक उपक्रम के स्वयं प्रयोग हेतु इफ्लुएन्ट ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, सीवेज ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट, ट्रान्सफार्मर एवं पॉवर फीडर की स्थापना भी इसमें सम्मिलित होगी। परन्तु यदि आवेदनकर्ता द्वारा ब्याज पूँजी उपादान, अवस्थापना ब्याज उपादान, एवं औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास हेतु ऋण पर ब्याज उपादान, तीनों सुविधाओं हेतु आवेदन किया गया है, तो इनमें किसी एक प्रकृति की सुविधा के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले मदों को अन्य श्रेणी की सुविधा/सुविधाओं के अन्तर्गत पात्रता के आगणन हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

4.3 **पात्र औद्योगिक उपक्रमः** मेगा औद्योगिक उपक्रम, (जिसमें ऐसे औद्योगिक उपक्रम सम्मिलित नहीं किए जाएंगे जो कि संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो जिसमे सरकार अथवा किसी सरकारी उपक्रम की अंश पूँजी 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो) जिन्हें निम्नवत् इस नीति में मेगा, मेगा प्लस अथवा सुपर मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रम के रूप में परिभाषित किया गया हो एवं निम्नलिखित मापदण्ड पूर्ण करते हों:

श्रेणी	**न्यूनतम पात्रता आवश्यकता**	
	मध्यांचल	**बुन्देलखंड एवं पूर्वांचल**
मेगा	रू0 150 करोड़ से अधिक परन्तु रू0 300 करोड़ से कम का पूँजीगत निवेश	रू0 100 करोड़ से अधिक परन्तु रू0 250 करोड़ से कम का पूँजीगत निवेश
मेगा प्लस	रू0 300 करोड़ से अधिक परन्तु रू0 750 करोड़ से कम का पूँजीगत निवेश	रू0 250 करोड़ से अधिक परन्तु रू0 500 करोड़ से कम का पूँजीगत निवेश
सुपर मेगा	रू0 750 करोड़ तथा इससे अधिक का पूँजीगत निवेश	रू0 500 करोड़ तथा इससे अधिक का पूँजीगत निवेश

4.4 **"प्रभावी अवधि"** का तात्पर्य सन्दर्भ तिथि से औद्योगिक उपक्रमों की मेगा एवं मेगा प्लस श्रेणी में 30 माह की अवधि एवं सुपर मेगा श्रेणी में 42 माह की अवधि से है।

4.5 **"पात्र पूँजी निवेश"** का तात्पर्य ऐसे पूँजी निवेश से है जो किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा उसकी श्रेणी के अनुसार, प्रभावी अवधि के भीतर किया गया हो। यदि सन्दर्भ तिथि के पूर्व औद्योगिक उपक्रम द्वारा निवेश प्रारम्भ किया गया है तो पूँजीगत निवेश का कम से कम 80 प्रतिशत पूँजीगत निवेश नीति की प्रभावी अवधि के भीतर किया जाना होगा एवं प्रभावी अवधि के भीतर किया गयां निवेश ही पात्र पूँजी निवेश माना जायेगा। यद्यपि निवेश की श्रेणी (मेगा/मेगा प्लस/सुपर मेगा) के निर्धारण हेतु पूँजीगत निवेश ही मान्य होगा।

5. **<u>अनुमन्य सुविधायें</u>**

औद्योगिक उपक्रम पात्र पूँजी निवेश की 20 प्रतिशत की वार्षिक सीमा तक, एवं निम्न तालिका में इंगित अनुमन्य पूँजी निवेश की अधिकतम सीमा/अवधि तक सीमित रहते हुए, सुविधाओं हेतु पात्र होगें, प्रतिबन्ध यह है कि वर्षवार समस्त सुविधाओं का योग

उस वित्तीय वर्ष की नेट एस.जी.एस.टी. की राशि से अधिक नही होगा। पात्र इकाई अपनी श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित सुविधाओं हेतु अर्ह होगी:-

5.1 भूमि पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट- बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में 100 प्रतिशत एवं मध्यांचल में 75 प्रतिशत ।

5.2 नेट एस.जी.एस.टी. की निम्न तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार प्रतिपूर्ति-

नेट एस.जी.एस.टी. की वार्षिक सीमा (प्रतिशत)	पात्र पूँजी निवेश की अधिकतम वार्षिक सीमा (प्रतिशत)	बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल		मध्यांचल	
		अनुमन्य पूँजी निवेश (पात्र पूँजी निवेश का प्रतिशत)	अवधि(वर्ष)	अनुमन्य पूँजी निवेश (पात्र पूँजी निवेश का प्रतिशत)	अवधि(वर्ष)
70	20	300	15	200	12

5.3 प्लांट एवं मशीनरी के लिए वितरित सावधिक ऋण पर भुगतान किये गये वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक पूँजी ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जायेगी कि सुविधा की अधिकतम वार्षिक सीमा रू0 50 लाख से अधिक नही होगी। यद्यपि औद्योगिक उपक्रम में दिव्यांग/एस.सी./एस.टी./महिला प्रवर्तकों की कम से कम 75 प्रतिशत इक्विटी होने की दशा में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त पूँजी ब्याज उपादान की सुविधा (अधिकतम 7.5 प्रतिशत) 5 वर्ष तक उपलब्ध करायी जायेगी। अतिरिक्त पूँजी ब्याज उपादान की वार्षिक सीमा रू. 25 लाख से अधिक नहीं होगी।

5.4 अवस्थापना सुविधाओं (जैसा कि प्रस्तर 4.2 में परिभाषित किया गया है) के विकास हेतु लिये गये ऋण पर भुगतान किए गए वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक अवस्थापना ब्याज उपादान प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जाएगी कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू0 1 करोड़ से अधिक नही होगी। यद्यपि औद्योगिक उपक्रम में दिव्यांग/एस.सी./एस.टी./महिला प्रवर्तकों की कम से कम 75 प्रतिशत इक्विटी होने की दशा में 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त अवस्थापना ब्याज उपादान की

सुविधा (अधिकतम 7.5 प्रतिशत) 5 वर्ष तक उपलब्ध करायी जायेगी। अतिरिक्त अवस्थापना ब्याज उपादान की कुल अधिकतम सीमा रू. 50 लाख से अधिक नहीं होगी।

5.5 औद्योगिक अनुसंधान, उत्पाद की गुणवत्ता सुधार एवं विकास के लिए औद्योगिक संगठनों, औद्योगिक इकाइयों के समूह द्वारा टेस्टिंग लैब, क्वॉलिटी सर्टिफिकेशन लैब एवं टूलरूम स्थापित करने हेतु प्लांट, मशीनरी एवं इक्यूपमेण्ट्स पर किए जाने वाले व्यय हेतु लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए वास्तविक ब्याज अथवा 5 प्रतिशत की ब्याज दर से किया गया भुगतान, जो भी कम हो, 5 वर्ष तक ब्याज प्रतिपूर्ति की सुविधा इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करायी जाएगी कि सुविधा की अधिकतम सम्पूर्ण सीमा रू0 1 करोड़ से अधिक नही होगी।

5.6 इस नीति में स्थापित होने वाले सभी नये औद्योगिक उपक्रमों को इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में 10 वर्ष हेतु 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

5.7 इस नीति में स्थापित होने वाले नये औद्योगिक उपक्रमों द्वारा स्वयं प्रयोग हेतु कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत को 10 वर्ष हेतु 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मुक्त रखा जाएगा।

6. <u>अन्य शर्ते</u>

6.1 इस नीति के अन्तर्गत आवेदन सन्दर्भ तिथि से 06 माह की अवधि तक ही प्राप्त किये जायेंगे।

6.2 ऐसी सभी इकाईयों को जिनके द्वारा राज्य में निवेश करने हेतु आशय व्यक्त किया जा चुका है, अथवा उनके पक्ष में औद्योगिक एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया है, अथवा उनके द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, इस नीति के अन्तर्गत सुविधाएं प्राप्त करने हेतु एक मुश्त विकल्प उपलब्ध होगा, प्रतिबन्ध यह है कि इस नीति में वर्णित सभी शर्तों को वे पूर्ण करते हों।

6.3 यदि इस नीति के अन्तर्गत किसी इकाई को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया है अथवा इस नीति में वर्णित सुविधाएं अनुमोदित की गयी है, तो इस नीति के प्रस्तर-3.1 (अर्हता) में उल्लिखित वाणिज्यिक उत्पादन सम्बन्धी समय सीमा पूर्ण न

करने की दशा में इकाई इस नीति के प्रस्तर-5 (अनुमन्य सुविधाएं) में उल्लिखित सभी सुविधाओं हेतु अर्ह होगी, परन्तु नेट राज्य जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा की अवधि (यथा श्रेणी-मेगा एवं मेगा प्लस श्रेणी हेतु 12 वर्ष एवं सुपर मेगा श्रेणी हेतु 15 वर्ष) घटाकर सभी श्रेणी की मेगा परियोजनाओं हेतु समान रूप से 10 वर्ष ही अनुमन्य करायी जायेगी। जो पात्र पूँजी निवेश के आधार पर ही होगा।

6.4 इस नीति में उल्लिखित परिभाषाओं तथा शर्तों के अतिरिक्त अन्य सभी शर्ते एवं प्रक्रिया औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 की क्रियान्वयन नियमावली के अनुसार ही रहेंगी।

6.5 पेय पदार्थ से संबंधित इकाईयॉ इस नीति के अन्तर्गत अर्ह नहीं होगीं। इसके अतिरिक्त ऐसे औद्योगिक उपक्रम जो औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन संबंधी नियमावली के अनुसार प्रतिबन्धित उद्योगों की सूची में अधिसूचित किए जाते है, सुविधाओं हेतु अपात्र होंगे।